

उत्तर प्रदेश राज्य निर्यात पुरस्कार योजना
आवेदन पत्र

जनपद.....

वर्ष.....

आवेदित श्रेणी कोड.....

1. निर्यातक इकाई का नाम: _____
2. कार्यालय का पता /
दूरभाष / फ़ैक्स / ई-मेल _____

3. कार्यशाला का पता /
दूरभाष / फ़ैक्स / ई-मेल _____

4. इकाई का स्वरूप: _____
(एकल स्वामित्व / साझेदारी / कम्पनी / अन्य)
5. इकाई के मालिक / अधिषासी अधिकारी का नाम: _____
6. इकाई की श्रेणी लघु उद्योग / मध्यम / वृहद उद्योग : _____
7. लघु उद्योग पंजीकरण संख्या / दिनांक : _____
(फोटो प्रति संलग्न करें)
8. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो पंजीकरण संख्या / दिनांक: _____
(फोटो प्रति संलग्न करें)
9. निर्यात प्रोत्साहन परिषद / बोर्ड का नाम जिसमें: _____
इकाई पंजीकृत है (फोटो प्रति संलग्न करें)
10. निर्यात किये जाने वाले उत्पाद का विवरण: _____
11. देशों के नाम जिनको निर्यात किया गया: _____
12. आयात निर्यात कोड संख्या व दिनांक _____
(फोटो प्रति संलग्न करें)
13. पुरस्कार हेतु आवेदित श्रेणी विवरण: _____
(केवल एक श्रेणी में आवेदन करें)

फोटो चिपकार्यें तथा
एक आवेदन पत्र के
साथ संलग्न करें।

14. विगत दो वर्षों के निर्यात आंकड़ें ;बैंक द्वारा प्रमाणित आंकड़ें ही मान्य, बैंक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्रम सं०	वर्ष	एफ.ओ.बी. मूल्य (लाख रु० में)
1.		
2.		

15. यदि शत-प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई है तो क्या वह अपने एक्सपोर्ट ओबलीगेशन के अनुरूप निर्यात का लक्ष्य पूरा कर रही है:-----

16. गत वर्षों में प्राप्त राज्य निर्यात पुरस्कार का विवरण:

क्रम सं०	श्रेणी जिसके लिए पुरस्कार मिला	पुरस्कार का वर्ष	पुरस्कार का विवरण (प्रथम / द्वितीय / प्रमाण पत्र / श्रेष्ठता / सर्टीफिकेट ऑफ एक्सीलेन्स)

17. इकाई की स्थापना से अब तक की प्रगति तथा कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण दें कि किस प्रकार इकाई ने उन्नति की। (स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक रूप से आवश्यक विवरण संलग्न करें।)

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में प्रेषित सभी विवरण सत्य हैं। मेरी इकाई के विरुद्ध कभी कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है, न ही किसी सरकारी संस्था द्वारा वित्तीय वसूली आदि के लिए दण्डित किया गया है। मुझे राज्य निर्यात पुरस्कार चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम व पता/प्रो०
व कम्पनी की सील

नोटः

1. आवेदन पत्र में निर्यात मूल्य/एफ.ओ.बी. मूल्य को केवल भारतीय रुपयों में ही अंकित किया जायेगा। जोकि बैंक द्वारा प्रमाणित हो।
2. एफ.ओ.बी. मूल्य वित्तीय वर्ष के अनुसार अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के निर्यात के अनुरूप ही अंकित किया जाये न कि कैलेण्डर इयर के अनुसार।
3. एक्सपोर्ट परफारमेन्स गाइड लाइन्स में अंकित श्रेणियों के निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायगो।
4. आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना/विवरण अंकित किये जायें। कोई भी बिन्दु/कॉलम खाली न छोड़ा जाये। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुतियों सहित **निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन, निर्यात भवन, द्वितीय तल, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ 226010 लखनऊ** को सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि सहित भेजे जायेंगे।
6. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा।